न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कैराना जनपद शामली।

उपस्थिति– प्रशान्त कुमार सिंह –II

(J.O.Code–U.P.2628)

दाण्डिक वाद संख्या 9152/2024

सरकार----------अभियोजन पक्ष।

<u>बनाम</u>

बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा, निवासी मौ. ताड़वाला कस्बा व थाना झिंझाना जिला शामली।

----------अभियुक्त।

मु.अ.सं.–477/2021

अंतर्गत धारा– 60/63 आबकारी अधिनियम

थाना–झिंझाना, जनपद शामली।

<u>निर्णय</u>

1. अभियुक्त **बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा, निवासी मौ. ताड़वाला कस्बा व थाना झिंझाना जिला शामली** के विरूद्ध आरोप पत्र थाना झिंझाना, जिला शामली की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 477/2021 अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "आज दिनांक 02.11.2021 को मैं उ.नि. अनिल कुमार मय हमराह का0 1227 नरेश कुमार व का0 1179 हरीश कुमार मय जीप सरकारी नम्बर यू०पी०

19 जी 0076 चालाक का0 153 अनिल कुमार के थाना हाजा से रपट न 0 30 समय 19.55 बजे देख रेख शान्ति व्यवस्था डियूटी में रवाना होकर जब हम पुलिस ग्राम होशंगपुर से ताडवाला की तरफ आ रहे थे तो मौहल्ला ताडवाला के पास नाले की पुलिया पर एक व्यक्ति अपने हाथ में प्लास्टिक का थैला लिये संदिग्ध अवस्था में बैठा था जो हम पुलिस वालो को आता देख एकदम तेजी से उठा और मौहल्ला ताडवाला की तरफ जाने लगा कि शक होने पर हम पुलिस वालो ने गाडी को तेजी से इसके पास लाकर इसे टोका और रुकने को कहा तो यह नहीं रूका और पक्के रास्ते से खेत की तरफ मुड़कर चलने लगा कि हम पुलिस वालो ने गाड़ी को रोककर उत्तरकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये पुलिया से खेत की तरफ 15 कदम की दूरी पर समय करीब 22.30 बजे पकड लिया पकडे जाने पर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा निवासी मौहल्ला ताडवाला कस्बा व थाना झिझाना जनपद शामली उम्र करीब 40 वर्ष बताया इसकी जामा तलाशी से हाथ में लिये थैले से ROYAL SECRET WHISKEY तथा FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY अंग्रेजी शराब की 12 बोतल ढक्कन बन्द बरामद हुई, बरामदा अग्रेजी शराब की 01 बोतल को थैले से निकालकर देखा तो उस पर ROYAL SECRET WHISKEY प्रत्येक पर अंकित है, पकडे गये व्यक्ति से शराब रखने का लाने का लाईसेन्स तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा तथा माफी मांगने लगा। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 60/63 आबकारी अधिनियम की हद को पहुँचता है। अभिक्त को उसके जुर्म से बाखूबी अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस व माल कब्जा पुलिस में लेकर बरामदशुदा थैले में से एक बोतल बतौर नमूना निकाल कर शेष शराब की 11 बोतल को उसी थैले में रखकर कर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया दौराने गिरफतारी एवं बरामदगी इक्का दुक्का आने जाने वाले जनता के वयक्तियों को गवाही के लिये कहा गया तो आपसी भलाई बुराई के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही को तैयार नहीं हुआ और मौके से बिना नाम पता बताये पीछे मुड़कर चले गये। फलस्वरूप पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

3. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का नक्शा–नजरी बनाया गया। बाद विवेचना अभियुक्त **बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा, निवासी मौ. ताड़वाला कस्बा व थाना झिंझाना जिला शामली** के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 60/63 आबकारी अधिनियमके अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त द्वारा अपनी

जमानत करायी गयी। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

4. अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से प्रेलखीय साक्ष्य में तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी.डी., नमूना मोहर, नक्शा–नजरी एवं आरोपपत्र को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में निरंकार को बतौर पी.डब्लू.– 01 उप निरीक्षक अनिल कुमार वादी मुकदमा, मननेन्द्र चौधरी सी.सी., 1238 को बतौर एवं पी.डब्लू–02, पवन कुमार यादव एस.आई. को बतौर पी.डब्लू. 3, नरेश यादव को बतौर पी.डब्लू. 4 एवं हरीश कुमार को बतौर पी.डब्लू. 5 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

7. अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं.अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए झूठी तहरीर पर मुकदमा लिखवाने व फर्जी फंसाये जाने का कथन समक्ष न्यायालय किया गया।

8. उभय पक्षों एवं उनके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्राव–ली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

निष्कर्ष

9. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि दि–नांक 202.11.2021 को समय लगभग रात्रि के 10.30 बजे उपनिरीक्षक अनिल कुमार के साथ कॉ. नरेश कुमार, का. हरीश कुमार तथा जीप चालक अनिल कुमार के साथ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बंध

में ग्राम होशंगपुर से ताड़वाला की तरफ जा रहे थे तभी उन्हें मौ. ताड़बाला के पास नाले की पुलिया पर एक संदिग्ध व्यक्ति अपने हाथ में प्लास्टिक का बैग लिये बैठा हुआ दिखाई दिया। पूछताछ करने के सम्बंध में जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को आते देख वहां से उठकर चल दिया और खेत की तरफ मुड़ कर चलने लगा और उसी समय पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके अभियुक्त को पकड़ा गया और उससे उसका नाम पूछा गया तो उसके द्वारा अपना नाम बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा बताया गया। अभियुक्त से बरामद प्लास्टिक के बेग को खोल कर देखा गया तो उसमें 12 बोतल ROYAL SECRET WHISKEY FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY का मार्का लगा हुआ था। अभियुक्त से जब उक्त शराब रखने तथा लाने के सम्बंध में जब लाईसेन्स तलब किया गया तो वह कोई लाईसेन्स नहीं दिखा सका। इस प्रकार बिना लाईसेन्स के दूसरे प्रदेश की शराब को उत्तर प्रदेश में लाना तथा उसे रखना आदि के सम्बंध में अभियुक्त के द्वारा 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है।

10. वादी मुकदमा अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त से बरामद शराब की 12 बोतलों में से एक बोतल बतौर नमूना निकालकर अलग की गई और शेष माल को मौके पर ही उसी थैले में रख कर सील सर्वे तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर ही वादी मुकदमा के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध फर्द तैयार की गई और उपरोक्त फर्द को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया तथा अभियुक्त के तथा अन्य उपस्थित कॉ. हरीश कुमार ,कॉ नरेश कुमार तथा गाड़ी चालक अनिल कुमार के हस्ताक्षर कराये गये। तथा फर्द की एक कार्बन प्रति अभियुक्त को दी गई। उनके द्वारा यह भी कथन प्रस्तुत किया गया है कि उसी दिन दिनांक 02.11.2021 को रात के 11.56 मिनट पर अभियुक्त बिलेन्द्र के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक पवन कुमार यादव को सुपुर्द की गई। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्त बिलेन्द्र के विरूद्ध न्यायालय में आरोप अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

11. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के द्वारा साक्षियों के रूप में सर्वप्रथम पी.डब्लू. 1 वादी अनिल कुमार को पेश किया गया, उनके द्वारा घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया और उनके द्वारा फर्द बरामदगी, नमूना मोहर, नमूना तथा माल बरामदगी

को साबित किया गया जिस पर की नियमानुसार प्रदर्श तथा वस्तु प्रदर्श डाले गये हैं। पी.डब्लू. 2 मनेन्द्र चौधरी सी.सी., जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक है, को प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया गया। पी.डब्लू. 3 के रूप में अभियोजन की ओर से इस केस के विवेचक पवन कुमार यादव को प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन करते हुए नक्शा–नजरी तथा आरोपपत्र को साबित किया गया। इसके उपरांत पी.डब्लू. 4 कॉ. नरेश कुमार तथा पी.डब्लू. 5 कॉ. हरीश कुमार के रूप में फर्द के गवाहों को बतौर गवाह प्रस्तुत किया गया और इनके द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहों से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जिरह की गई है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहों के द्वारा घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। बरामद माल तथा नमूने को सील सहित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः उनके द्वारा प्रार्थना की गई कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बिलेन्द्र के विरूद्ध इस प्रकरण में आरोप अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अपराध पूर्ण रूप से साबित होता है।

12. अभियुक्त बिलेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त बिलेन्द्र को इस मुकदमें में झूठा तथा फर्जी फंसाया गया है। और पुलिस द्वारा जानबूझकर रंजिश के आधार पर अभियुक्त को इस मुकदमें में झूठा अभियुक्त बनाया गया है। उनके द्वारा यह भी कथन प्रस्तुत किया गया है कि यह कथित घटना दिनांक 02.11.2021 को रात के 10.30 बजे की दर्शाई गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर रात के 11.56 बजे पर दर्ज होना बताया गया है। जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 1 किमी की होने के कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई है, उनके द्वारा यह भी कथन पेश किया गया है कि कथित घटना वाले दिन पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने के सम्बंध में जी.डी. रवानगी की कोई प्रति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस कर्मी घटनास्थल पर नहीं गये थे और उनके द्वारा यह समस्त कार्यवाही थाने पर ही बैठकर की गई थी। उनके द्वारा यह भी कथन पेश किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस द्वारा आपस में एक दूसरे की कोई जामा–तलाशी नहीं ली गई थी, उनके द्वारा यह भी कथन पेश किया गया है कि घटना के दौरान पुलिस के द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के बयान मौके पर दर्ज नहीं किये गये जिस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सम्पूर्ण घटना फर्जी है। उपरोक्त के आधार पर उनके द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि

अभियुक्त बिलेन्द्र को इस फर्जी घटना में झूठा फंसाया गया है और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों की गवाही में आपसी विरोधाभाष होने के कारण उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस कारण से इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम संदेह से परे साबित नहीं होता है।

13. इस प्रकरण में अभियुक्त बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा को पुलिस द्वारा ग्राम होशंगपुर मौहल्ला ताड़वाला के पास नाले की पुलिया पर संदिग्ध हालत में थैला लेकर बैठे हुए देखा गया था और शक होने पर जब पुलिस द्वारा अभियुक्त का पीछा किया गया तो उसके द्वारा भागने की कोशिश करने के उपरांत आवश्यक बल प्रयोग करके उसे पकड़ा गया तथा उसके पास से बरामद थैले को जब खोलकर देखा गया तो उसमें से 12 बोतल ROYAL SECRET WHISKEY FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY बरामद हुई। अभियुक्त बिलेन्द्र से पुलिस द्वारा जब इन शराब की बोतलों को रखने तथा लाने के सम्बंध में लाईसेन्स मांगा गया तो वह दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त से बरामद इन 12 शराब की बोतलों को जब्त किया गया और अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्त बिलेन्द्र के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

14. आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अनुसार– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लघंन करके,

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलो या फलो के अग्रभाग सम्मिलित नहीं है) का संग्रह या विक्रय करता है; अथवा

(घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माण–

शाला', द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है;

है: अथवा (ज) धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुराता है, या निकालता है;

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दस दो हजार रूपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी।

15. **आबकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार**– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के, दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

16. अभियोजन के द्वारा अपने केस को सिद्ध करने के सम्बंध में मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी मुकदमा एस.आई अनिल कुमार को बतौर पी.डब्लू. 1 प्रस्तुत किया गया है और उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पूर्ण रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों का समर्थन किया है और उनके द्वारा फर्द, माल मुकदमाती को साबित किया गया है। अभियुक्त द्वारा पी.डब्लू. 1 से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि ऐसा प्रतीत हो सके कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रकरण झूठा एवं फर्जी है। फर्द के गवाह पी.डब्लू. 4 नरेश कुमार व पी.डब्लू. 5 हरीश कुमार के द्वारा प्रथम

सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। यह दोनों ही गवाह घटना के समय मौके पर उपस्थित थे और उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे कि अभियोजन का केस किसी प्रकार से कमजोर होता हो। अभियोजन की ओर से इसके अतिरिक्त विवेचक पवन कुमार यादव को पी.डब्लू. 3 के रूप में पेश किया गया है और उनके द्वारा भी घटना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए नक्शा–नजरी तथा आरोपपत्र को साबित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से पी.डब्लू. 2 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक मनेन्द्र चौधरी को प्रस्तुत किया गया है और उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया गया है। अभियुक्त के द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों से जिरह की गई है और मुख्य रूप से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह आपत्तियां जताई गई हैं कि घटनास्थल एक सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के बयान आदि दर्ज नहीं किये गये हैं और दूसरे पुलिस द्वारा घटनास्थल पर रवानगी के सम्बंध में जी.डी. की कोई प्रति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गई है।

17. जहां तक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की इस आपत्ति का प्रश्न है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी उनके द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का बयान नहीं लिया गया है तो इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधिव्यवस्थाओं में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष का पूर्ण समर्थन उनके द्वारा प्रस्तुत पुलिस के गवाहों से होता है तो ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि कोई स्वतंत्र साक्षी उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है , अभियुक्त को मात्र इस आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय **Kashmira Singh Appellant v. State of Punjab Respondent 1999 CRI. L J. 2876 SUPREME COURT द्वारा यह धारित किया गया है कि–** "3. Learned counsel for the appellant has taken us through the evidence recorded by the prosecution as also the judgment under appeal. Except for the comment that the prosecution is supported by two police officials and not by any independent witness no other comment against the prosecution is otherwise offered. This comment is not of any value since the police party was on patrolling duty and they were not required to take along independent witnesses to support a recovery if and when made. It has come in the evidence of ASI Jangir Singh

that after the recovery had been effected some people had passed by. Even so obtain–ing their counter–signatures on the documents already prepared would not have lent any further credence to the prosecution version."

State of Gujarat v. Jaman Haji Mamad Jat and Ors 2007 CRI. L. J. 1584 GUJARAT HIGH COURT (DB), fort न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि–.....As stated above, the prosecution also got support from the evidence of Police Officers, Merely because they are Police Officers, their evidence should not be believed is not the crite–ria. The criteria is that if their evidence are natural and believable, certainly Court can rely upon the same. We have considered the same in that direction and say that their evidence are natural and trustworthy." इस प्रकार मात्र इस आधार पर कि जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी की गवाही न होने के कारण इस घटना को असत्य नहीं माना जा सकता है।

18. जहां तक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की इस आपत्ति का प्रश्न है कि पुलिस के द्वारा रवानगी के सम्बंध में कोई जी.डी. की प्रति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गई है। अभियोजन की ओर से दाखिल किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों को गवाहों के द्वारा साबित किया गया है और अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से इस घटना का पूर्ण समर्थन होता है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की गवाही में ऐसा कोई विरोधाभाष दर्शित नहीं है जिससे कि अभियोजन की कहानी पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो और अभियुक्त की यह आपत्ति की पुलिस द्वारा रवानगी की जी.डी. की प्रति दाखिल नहीं की गई है। मात्र एक अनियमितता है और इस अनियमितता का अभियुक्त कोई लाभ प्राप्त करने का आधिकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किये गये और उक्त बयानों में अभियुक्त के द्वारा किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह बात साबित होती है कि दिनांक 22.11.2021 को रात्रि के 10.30 बजे मौ. ताड़वाला के पास नाले की पुलिया के पास अभियुक्त बिलेन्द्र से 12 बोतल शराब ROYAL SECRET WHISKEY FOR SALE IN ARUNACHAL PRADESH ONLY बरामद हुई और उक्त शराब को लाने व रखने का उसके पास कोई विधिक लाईसेन्स नहीं था। अतः अभियुक्त बिलेन्द्र के विरूद्ध इस प्रकरण में धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का आरोप संदेह से परे साबित होता है।

20. अभियुक्त बिलेन्द्र आज जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित है। उसके जमानत प्रपत्र व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को उनके दायित्व से उन्मौचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर पुनः लंच के बाद पेश हो।

(प्रशान्त कुमार सिंह –II)

दिनांक–03.04.2026 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना।

जनपद शामली।

(J.O.Code–U.P.2628)

लंच बाद सजा के बिन्दु पर पत्रावली पुनः पेश हुई।

21. दोषसिद्धी के पश्चात अभियुक्त बिलेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधि–कारी को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अभि–युक्त द्वारा कारित किया गया अपराध उसका प्रथम अपराध है। वह गरीब व्यक्ति है, उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं। घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये। विद्वान सहयाक अभियोजन अधिकारी के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त बिना लाईसेन्स के 12 बोतल शराब के साथ घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है। अतः दोषसिद्धि के उपरांत अभियुक्त को अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गई है।

22. उभय पक्षों को सुनने के उपरांत तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के देखते हुए न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त द्वारा कारित यह अपराध उसका प्रथम अपराध है। वह गरीब व्यक्ति है और उसके छोटे–छोटे बच्चे है तथा वह घर का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। अतः उपरोक्त परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में अभियुक्त **बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा, निवासी मौ. ताड़वाला कस्बा व थाना झिंझाना जिला शामली** को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **बिलेन्द्र पुत्र चन्द्रा, निवासी मौ. ताड़वाला कस्बा व थाना झिंझाना जिला शामली** को

दाण्डिक वाद संख्या 9152/9/2024, मु.अ.सं. 477/2021 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना, जनपद शामली के अपराध में एक वर्ष के साधाराण कारावास एवं 6000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा धारा 63 आबकारी अधिनियम में दो वर्ष के साधाराण कारावास एवं 6000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त की सभी सजाये साथ–साथ चलेंगी एवं जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

इस प्रकरण में अभियुक्त से बरामद माल मुकदमाती का निस्तारण अपील की अवधि के उपरांत नियमानुसार किया जाये।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर नियमानुसार जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

(प्रशान्त कुमार सिंह –II)

दिनांक– 03.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना।

जनपद शामली।

(J.O.Code–U.P.2628)

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करते हुए सुनाया गया।

(प्रशान्त कुमार सिंह –II)

दिनांक– 03.04.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैराना।

जनपद शामली।

(J.O.Code–U.P.2628)